बाँका समाहरणालय

(नजारत शाखा)

किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन निविदा

समाहरणालय एंव संबद्ध कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए समय–समय पर चार पहिया वाहन किराये पर मासिक/दैनिक रूप से लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित शर्त्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/एजेंसी से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र0	वाहन का प्रकार	80 कि0मी0 अथवा 08 घंटा का दर प्रतिदिन (नन ए0सी0 वाहन)	80 कि0मी0 प्रतिदिन से अधिक चलने पर प्रति घंटा अतिरिक्त किराया का दर (नन ए0सी0 वाहन)	08 घंटा प्रतिदिन से अधिक चलने पर प्रति घंटा अतिरिक्त किराया का दर (नन ए0सी0 वाहन)	ए0सी0 वाहन का मासिक दर	नन ए0सी0 वाहन का मासिक दर
1	2	3	4	5	6	7
1	टाटा सूमो					
2	बोलरो					
3	स्कार्पियो					
4	सफारी					
5	जाईलो					
6	स्पेशियो					
7	ईनोवा					

शर्त्तें:–

1. वाहन का दर चालक सहित होगा तथा वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चालक का मासिक पारिश्रमिक का भुगतान वाहन स्वामी के द्वारा किया जायेगा।
2. वाहन अच्छी हालत में/नई होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक पुराना वाहन नहीं होना चाहिए।
3. वाहन के रख–रखाव एवं मरम्मति पर व्यय वाहन स्वामी को करना होगा। किसी भी परिस्थिति में वाहन अथवा वाहन चालक के द्वारा उत्पन्न वैधिक दायित्वों के लिए भाड़ा पर लेने वाला विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
4. वाहन के लिए ईंधन की आपूर्ति जिला प्रशासन/संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी।
5. वाहन का व्यवसायिक निबंधन आवश्यक होगा। यदि व्यवसायिक निबंधन न हो तो आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर आपूर्तिकर्त्ता को वाहन का व्यवसायिक निबंधन करा लेना अनिवार्य होगा।
6. चयनित वाहन स्वामी/एजेंसी से एकरारनामा एक वर्ष के लिए किया जायेगा, जिसे संतोषप्रद सेवा उपलब्ध कराने पर, आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
7. यदि निविदादाता नई गाड़ी खरीदकर भाड़े हेतु देना चाहेंगे, तो उन्हें एकरारनामा के पश्चात् अधिकतम एक माह का समय दिया जा सकेगा, ताकि आवश्यकतानुसार बैंक से ऋण ले सकें।
8. वाहन के भाड़े का भुगतान मासिक रूप से सरकार से आवंटन के उपलब्धता पर किया जायेगा।
9. वाहन खराब होने पर वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्त्ता का दायित्व होगा कि तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे अन्यथा निर्धारित राशि में कटौती कर दी जायेगी।
10. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
11. तकनीकी निविदा में वाहन चालक का अद्यतन ड्राईविंग लाइसेंस, व्यवसायिक निबंधन, प्रदूषण, बीमा, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र एवं काली सूची में दर्ज नहीं होने का फोटोयुक्त शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. वित्तीय निविदा में उपर्युक्त प्रारूप में दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित करना होगा, जिसमें जी0एस0टी0 एवं अन्य सभी तरह के कर सम्मिलित रहेंगे। उल्लिखित दर के अतिरिक्त कोई अन्य राशि देय नहीं होगी तथा भुगतान के समय नियमानुसार आवश्यक करों की कटौती की जायेगी।

13. उपर्युक्त प्रारूप में ए0सी0 तथा नन0ए0सी0 वाहनों का दर अलग–अलग अंकित किया जायेगा। वाहनों का दर दो प्रकार से उपलब्ध कराना है – (क) मासिक आधार पर (ख) प्रतिदिन अर्थात् 08 घंटे परिचालन एवं 80 कि0मी0 दूरी के आधार पर। इसके अतिरिक्त 80 कि0मी0 से अधिक दूरी चलने पर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया अथवा 08 घंटे से अधिक चलने पर प्रति घंटा अतिरिक्त किराया का दर भी उपलब्ध कराना है ताकि 80 कि0मी0 या 08 घंटे से अधिक वाहन चलने पर अतिरिक्त किराया का भुगतान वाहन स्वामी को किया जा सके।

14. जिले के सभी थानों के लिए भी किराये पर वाहन रखने का विभागीय निदेश पुलिस अधीक्षक, बाँका को प्राप्त है, जिसका भुगतान वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

15. एकरारनामा से पूर्व चयनित निविदाकर्त्ता के वाहन के फिटनेस की जाँच जिला प्रशासन द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा की जायेगी। यदि समिति द्वारा फिटनेस के बिन्दु पर प्रतिकुल जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है, तो निविदा में सफल होने पर भी वाहन नहीं लिया जायेगा।

16. निविदा दिनांक 10.12.2018 के अपराह्न 01:00 बजे तक बाँका समाहरणलय के जिला नजारत शाखा, बाँका में मुहरबंद लिफाफे में निबंधित डाक(पता–समाहरणालय, बाँका, जिला नजारत शाखा, पिनः–813102) से अथवा हाथों हाथ समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित समय के पश्चात् निविदा प्राप्त नहीं किया जायेगा।

17. ससमय प्राप्त निविदा को दिनांक 10.12.2018 के अपराह्न 04:00 बजे क्रय समिति के द्वारा निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के सामने खोला जायेगा।

18. निविदा को बिना कारण बताए रद्द/स्थगित करने का अधिकार जिला पदाधिकारी, बाँका के पास सुरक्षित रहेगा।

19. इस निविदा को जिले के वेबसाईट **http://banka.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बाँका।	अपर समाहर्त्ता, बाँका।	जिला पदाधिकारी, बाँका।

ज्ञापांक 158 /नजा0 दिनांक 23-11-2018

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, बाँका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता/वरीय कोषागार पदाधिकारी, बाँका/जिला परिवहन पदाधिकारी, बाँका/जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, बाँका/मोटरयान निरीक्षक, बाँका को सूचनार्थ एवं ससमय क्रय समिति की बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बाँका को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, बाँका को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बाँका।	अपर समाहर्त्ता, बाँका।	जिला पदाधिकारी, बाँका।